म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

निम्नदाब बिजली कनेक्शन प्राप्त करने आवश्यक अर्हताएं

➢ **निम्नदाब कनेक्शन किसे मिल सकता है ?**

परिसर स्वामी अथवा परिसर पर अधिकृत कब्जाधारी व्यक्ति को ही कनेक्शन दिया जाता है बशर्ते कि लोड 100 हार्सपावर/75 किलोवाट से अधिक न हो ।

➢ **खंभे से कितनी दूरी तक कनेक्शन मिल सकता है ?**

घरेलू उपभोक्ताओं को खंभे से 30 मीटर की दूरी तक बिजली कनेक्शन देने का प्रावघान है किन्तु स्थल की परिस्थिति के अनुसार 45 मीटर की दूरी तक कनेक्शन प्रदान किया जा सकता है ।

➢ **आवेदन पत्र कहां से प्राप्त करें ?**

आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित वितरण केन्द्र कार्यालय अथवा शहरी क्षेत्र में नए बिजली कनेक्शन हेतु निर्धारित कार्यालय या किसी बिजली ठेकेदार या कंपनी की बेवसाइट से प्राप्त किए जा सकते है।

➢ **आवेदन पत्र में क्या क्या जानकारियां आवश्यक हैं ?**

आवेदन पत्र के साथ परिसर का नक्शा एवं इसके साथ परिसर के स्वामी/अधिकृत रहवासी का प्रमाण पत्र देना होता है ।

➢ **भार की गणना कैसे की जाती है ?**

इसके लिए परिसर में संभावी बिजली उपकरणों की क्षमता के अनुसार भार की गणना की जाती है जिसके लिए आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र संलग्न होता है । प्रपत्र में दी गई तालिका के अनुसार आवेदक भार की गणना स्वतः करता है एवं उस भार के लिए आवेदन करता है ।

➢ **आवेदन पत्र कहां जमा किए जाते हैं ?**

आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित वितरण केन्द्र कार्यालय अथवा शहरी क्षेत्र में नए कनेक्शन हेतु निर्धारित कार्यालय में

जमा किए जा सकते है। आवेदन पत्र बिजली ठेकेदार के माध्यम से भी जमा करवाए जा सकते हैं ।

- **आवेदन पत्र कौन जमा कर सकता है ?**

  भावी उपभोक्ता का कोई भी प्रतिनिधि, बिजली ठेकेदार या डाक से भी ।

- **आवेदन को क्या पंजीकृत किया जाता है ?**

  पूर्ण आवेदन प्राप्ति के उपरांत उसका पंजीयन नंबर जारी किया जाता है । इसी नंबर के आधार पर आवेदक द्वारा प्रकरण की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है ।

- **आवेदन पंजीकरण नंबर की सूचना कैसे मिलती है ?**

  आवेदन पंजीकरण के बाद 2 दिन के अंदर इसकी जानकारी स्पीड पोस्ट के द्वारा आवेदक के पते पर प्रेषित की जाती है । यदि आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर हो तो एस.एम.एस. द्वारा भी सूचित किया जाता है ।

- **कनेक्शन हेतु स्थल निरीक्षण कैसे और कब होता है ?**

  आवेदन पंजीयन की तिथि से शहरी क्षेत्र में 5 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10 दिन के अंदर स्थल निरीक्षण कर लिया जाता है । इस हेतु आवेदक के पते पर पंजीकरण की जानकारी के साथ निर्धारित प्रपत्र में स्थल निरीक्षण की तिथि एवं समय की सूचना दी जाती है । उपभोक्ता यदि तिथि या समय में परिवर्तन चाहता हो तो फोन पर/मोबाइल पर अधिकारी को सूचित कर सकता है जिसका नंबर पावती में मुद्रित होता है ।

- **कितना भुगतान करना है, इसकी जानकारी कब मिलती है ?**

  स्थल निरीक्षण के बाद यदि वर्तमान विद्युत लाइन से कनेक्शन दिया जाना संभव है तो शहरी क्षेत्र में 3 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5 दिन के अंदर भुगतान हेतु एडवाइज डाक से भेजी जाती है । इस एडवाइज में यह जानकारी दी जाती है कि किस मद में, जैसे सर्विस लाइन, सुरक्षा निधि आदि के रूप में कितनी राशि जमा करनी होगी ।

- **अनुबंध कब किया जाता है ?**

  निर्धारित राशि जमा करके उसी दिन अनुबंध का निष्पादन किया जाता है । अतएव उपभोक्ता को सिर्फ एक बार ही विद्युत

कार्यालय आना पडेगा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए । उसी दिन वह टेस्ट रिपोर्ट भी जमा कर सकता है ।

- **बिजली कब चालू की जाती है ?**

  अनुंबध निष्पादन के बाद वितरण केन्द्र प्रभारी द्वारा संयोजन का 2 दिन में परीक्षण कर लिया जाता है व सही पाए जाने की स्थिति में आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में उसी दिन मीटर को स्थापित कर सील किया जाता है तथा बिजली चालू कर दी जाती है । मीटर स्थापित कर मीटर एवं सील का विवरण तथा कनेक्शन क्रमांक डाक से 2 दिन में भेज दिया जाता है ।

- **क्या आवेदक को अनुबंध की प्रति प्राप्त होती है ?**

  कनेक्शन स्थापित होने के लगभग एक माह की अवधि में अनुबंध की अभिप्रमाणित प्रति नक्शे के साथ उपभोक्ता को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाती है ताकि उपभोक्ता के पास रिकार्ड रहे ।

- **सर्विस लाइन का खर्च कौन उठाता है ?**

  सर्विस लाइन उपभोक्ता के खर्च पर लगाई जाती है । आवेदक चाहे तो सर्विस लाइन अधिकृत ठेकेदार से स्वयं के व्यय पर लगवा सकता है । इसके लिए सर्विस लाइन की कीमत की 5 प्रतिशत राशि सुपरवीजन चार्जेज के रूप में कंपनी द्वारा ली जाती है । कंपनी के माध्यम से भी आवेदक सर्विस लाइन लगवा सकता है जिसके लिए उसे नियामक आयोग के द्वारा निर्धारित दर से भुगतान करना होगा । इसकी सूचना उसे एडवाइज के माध्यम से पूर्व में दी गई होती है ।

#####